न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 53/2024 बउनवानी योगेन्द्र शर्मा **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा पुत्र श्री श्रवण सिंह निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार

GCMS No-2024/122

तारीख हुकम	हुकमं या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
21.11.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 2.9.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***"दिनांक 6.3.2024 को जरिये रजिस्टर्ड आमजनता शिवाड द्वारा ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी में सारसोप मोड व चरागाह पर भू माफिया द्वारा अवैध पुख्ता निर्माण करने के संदर्भ मे शिकायत की थी उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी उसकी प्रति"*** तहसीलदार चौथ का बरवाडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःसू.का.अ./2024/984 दिनांक 20.11.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.2024 में चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक/सू.का.अ. /2024/629 दिनांक 4.10.2024 से अपीलान्ट को पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.3.2024 की प्रति भिजवायी जा चुकी है। उक्त पटवारी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि " सिवायचक, चरागाह भूमि पर मिलीभगत कर पुख्ता निर्माण करवाने का आरोप निराधार है।" इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.9.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:00:43 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner